झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका संख्या 214 / 2021

नारायण गिरि, उम्र लगभग 80 वर्ष, पिता- स्वर्गीय भोला गिरि, निवासी, ग्राम दलदला डाकघर. फुलझरिया,थाना. अहिल्यापुर जिला- गिरिडीह, (झारखंड) वर्तमान में ग्राम जुनौरी डाकघर. तारानारी थाना चंद्रपुरा जिला बोकारो (झारखंड)

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. उपायुक्त, गिरिडीह डाकघर एवं थाना. - गिरिडीह, जिला-गिरिडीह (झारखंड)
3. उपायुक्त, बोकारो, समाहरणालय, कैंप-II डाकघर एवं थाना. बोकरो स्टील सिटी जिला बोकरो (झारखंड)।
4. पुलिस अधीक्षक, बोकारो, डाकघर एवं थाना. बोकरो स्टील सिटी जिला बोकरो, झारखण्ड।
5. चंद्रपुरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी डाकघर एवं थाना. चंद्रपुरा जिला बोकारो (झारखंड)।
6. संदीप डंगाईच पिता-स्वर्गीय रायधेय श्याम डंगाईच निवासी मकतपुर डाकघर एवं थाना गिरिडीह . गिरिडीह (टी) जिला गिरिडीह (झारखंड)।
7. सुधीर शर्मा. पिता- अज्ञात, निवासी तिरंगा चौक, गिरिडीह थाना. और डाकघर. गिरिडीह जिला गिरिडीह (झारखंड)
8. गोविंद क्र. गोविंद. पिता- अज्ञात, निवासी ग्राम पपरवार टांड़, डाकघर- गिरिडीह थाना. गिरिडीह (नगर) जिला गिरिडीह (झारखंड)।
9. विनोद कुमार वर्मा पिता- अज्ञात, निवासी ग्राम बरमसिया डाकघर -फुलची थाना. गिरिडीह (टी) जिला गिरिडीह (झारखंड)

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से:	व्यक्तिगत रूप से
राज्य की ओर से:	श्री दीपांकर रॉय, एसी से जीए-III
प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के लिए:	श्री गोविंद राय करण, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। उनका कहना है कि उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कक्षा 4 या 5 तक पढ़ा है, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कक्षा 4 या 5 तक पढ़ा है या नहीं। जब अदालत ने पूछा कि अंग्रेजी में दायर की गई तत्काल रिट याचिका (आपराधिक) में क्या लिखा है, तो याचिकाकर्ता जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, ने कहा कि वह अंग्रेजी नहीं जानता है और वह तत्काल रिट याचिका (आपराधिक) की सामग्री को पढ़ने में असमर्थ है। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि न केवल इस अदालत में, बल्कि वह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उपस्थित हो रहा है और अपने मामलों का मुकाबला कर रहा है, इसलिए, उसे व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए और वह किसी वकील को नियुक्त नहीं करना चाहता है।

3. रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि तत्काल रिट याचिका (सीआर) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 6- एक निजी व्यक्ति ने याचिकाकर्ता के साथ 5 एकड़ 77 डेसीमल जमीन की खरीद के लिए एक समझौता किया। प्रतिवादी संख्या 6 ने चेक के माध्यम से याचिकाकर्ता को 1,21,000/- रुपए का भुगतान किया। समझौते की अवधि दो वर्ष की थी। शेष राशि 30.07.2017 तक भुगतान की जानी थी। याचिकाकर्ता की पोती गंभीर रूप से बीमार थी। याचिकाकर्ता को उसकी जान बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 6 उसकी

जमीन हड़पने पर अड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता की पोती की 20.07.2020 को मृत्यु हो गई क्योंकि पैसे के अभाव में उसका उचित इलाज नहीं हो सका। याचिकाकर्ता ने एसडीओ, गिरिडीह के समक्ष केस संख्या 572/2020 के तहत एक आवेदन दायर किया लेकिन इसका निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि मामला सिविल प्रकृति का है। 14.07.2021 को याचिकाकर्ता को अपनी जान बचाने के लिए गिरिडीह से भागना पड़ा। इसलिए, याचिकाकर्ता गिरिडीह में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज करने में सक्षम नहीं है।

4. चूंकि इस तात्कालिक रिट याचिका (आपराधिक) में कोई विशिष्ट सुसंगत प्रार्थना नहीं की गई है, इसलिए, इस तात्कालिक रिट याचिका (आपराधिक) का निपटारा इस अवलोकन के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता, यदि चाहे तो, अपनी शिकायतों के साथ झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के सदस्य सचिव से संपर्क कर सकता है और यदि याचिकाकर्ता झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के सदस्य सचिव से संपर्क करता है तो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के सदस्य सचिव उसे याचिकाकर्ता की शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेंगे।

5. इस रिट याचिका (आपराधिक) का निपटारा उपरोक्त अवलोकन के साथ किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 20 दिसंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद पैनल अनुवादक
सुश्री मधु कुमारी के द्वारा किया गया है।